उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 04 मार्च, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. निधन के निदेश।

3. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का सातवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का आठवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का नवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का पहला अधिनियम बन गया।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा, ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में स्थित नहासैंण, पट्टी बनेलस्यूं में प्राथमिक चिकित्सालय/डिस्पैन्सरी खोलने के संबंध में'' श्री मकान सिंह बिष्ट पुत्र श्री कल्याण सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम डडोगी, बनेलस्यूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बंजारेवाला-खेड़ी शिकोपुर-सिकरोढ़ा-फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला तक सड़क निर्माण के संबंध में'' श्री स्वराज सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह एवं अन्य निवासीगण, बंजारेवाला, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में मैडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में'' श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री कली राम एवं अन्य निवासीगण, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के संबंध में'' श्री नित्यानन्द मण्डल पुत्र स्व0 श्री सुधीर मण्डल एवं अन्य निवासीगण, ग्राम- मोतीपुर, न0-1, पोस्ट-दिनेशपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. श्री मुन्ना सिंह चौहान निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2008 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ख"**)

16. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 04 मार्च, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 04 मार्च, 2008)

नत्थी "क"

तारांकित प्रश्न

सुश्री कैरन मेयर हिल्टन
31–01–2008

*1. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि दून चिकित्सालय देहरादून में डायलिसीस मशीनों की नितान्त कमी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार देहरादून में गुर्दे के रोग से ग्रसित रोगियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए दून चिकित्सालय में और मशीनें स्थापित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री प्रीतम सिंह
05–02–2008

*2. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कौन–कौन से विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कितने चिकित्सकों की नियुक्ति का प्राविधान है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध कराने का प्राविधान है?

स्वास्थ्य

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
06–02–2008

*3. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में यूनानी पद्धति के कितने स्नातक चिकित्सक पंजीकृत हैं तथा प्रदेश में कुल कितने यूनानी औषधालय स्थापित हैं? क्या सरकार औषधालयों में यूनानी स्नातक चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत
23–01–2008

1. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत कितने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त चिकित्सालयों में जनता को नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की क्या व्यवस्था है तथा कब तक उक्त चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट और चिकित्साधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी?

स्वास्थ्य

श्री चन्दन राम दास
25–01–2008

2. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर के पर्यटन विकास हेतु नीलेश्वर से चंडिका तक रज्जु मार्ग स्वीकृत है? यदि नहीं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 28–01–2008	**3.** क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में विधायकगण को निजी उपयोगार्थ, सेना के पुराने डिस्पोज़ल वर्ग के वाहन किस प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं एवं उक्त श्रेणी के जीप, मोटर साईकिल आदि वाहनों को क्रय करने की क्या प्रक्रिया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**संसदीय कार्य**
श्री खजानदास 31–01–2008	**4.** क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत धनौल्टी विधान सभा के ग्राम पंचायत द्वारगढ़ में वर्ष 1980 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की गई थी? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है कि स्थानीय लोगों के द्वारा तब से लगातार रा0हो0पै0चि0, द्वारगढ़ में चिकित्सालय भवन के निर्माण की माँग की जाती रही है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि वर्ष 1990 में स्थानीय लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भवन निर्माण हेतु भूमि भी दान स्वरूप दे दी गई थी? यदि हाँ तो क्या जनहित में रा0हो0पै0चि0, द्वारगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री खजानदास 31–01–2008	**5.** क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड़ में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य पिछले काफी समय से शुरू हो गया था? क्या यह सत्य है कि भवन के निर्माणाधीन अवधि में ही उक्त अस्पताल का लोकार्पण विगत वर्ष 2006 में कर दिया गया था? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आज तक भी आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध नहीं है तथा आम जनता इसका लाभ नहीं उठा पा रही है? क्या मंत्री जी जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थत्यूड़ में आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री यशपाल बेनाम 01–02–2008	**6.** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों को खुलवाने के मानकों में शिथिलता प्रदान की जा रही है और अन्य के उच्चीकरण हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री यशपाल बेनाम 01–02–2008	**7.** क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विधायक–विवेकाधीन कोष प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**संसदीय कार्य**

श्रीं मयूख महर 01–02–2008	**8.** क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला निवासी श्रीमती जसुली शौक्यानी द्वारा कुमायूँ तथा गढ़वाल में आज से लगभग कई साल पहले राहगीरों की सुविधा हेतु सैकड़ों धर्मशालायें बनायी गयी थी? क्या उक्त धर्मशालाऐं ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ–साथ पर्यटन विकास हेतु उपयोगी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके रखरखाव एवं उपयोग हेतु कोई विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**पर्यटन**
श्री मयूख महर 04–02–2008	**9.** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के चिकित्सालयों में सृजित पद के सापेक्ष कितने चिकित्सक व स्टाफ नर्स कार्यरत हैं तथा इस वर्ष विभाग द्वारा जनपद से कितने चिकित्सक व स्टाफ नर्सों का स्थानांतरण अन्यत्र किया गया है? क्या उक्त स्थानान्तरण प्रकिया से रिक्त हुये पदों पर विभाग द्वारा तैनाती की गयी है? यदि हाँ, तो कितने? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री मयूख महर 04–02–2008	**10.** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जनपद में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार की नवीन ट्रामा सेन्टर खोलने की सूची में जनपद पिथौरागढ़ सम्मिलित है? यदि हाँ, तो उक्त सेन्टर में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री राजेश जुवाँठा 04–02–2008	**11.** क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि पुरोला विधान सभा में विकास खण्ड मोरी के ग्राम–दुचाणू में दिसम्बर, 2006 को रा० आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत हुआ था? क्या यह सत्य है कि आज तक उक्त चिकित्सालय में डॉक्टर, अन्य स्टाफ एवं दवाऐं उपलब्ध नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में डॉक्टर, स्टाफ, दवाऐं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्रीमती अमृता रावत 05–02–2008	**12.** क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के सुरम्य तपस्थली स्थल व्यासघाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा यहाँ पर पर्यटक आवास गृह का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून के पत्र संख्या 1785(1)/2–6–613/2007 दिनांक 26 सितम्बर 2007 के द्वारा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी पौड़ी को एक सप्ताह के अन्दर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है? यदि हाँ, तो क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पौड़ी से प्राप्त आख्या का विवरण क्या है तथा व्यासघाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा पर्यटक आवास गृह का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है?	**पर्यटन**

श्री ओम गोपाल 05–02–2008	**13.** क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऋषिकेश से माँ कुन्जापुरी मन्दिर तक रोपवे निर्माण की घोषणा माननीय मंत्री द्वारा कुन्जापुरी पर्यटन मेले के दौरान की गई थी? क्या यह भी सत्य है कि ऋषिकेश से माँ कुन्जापुरी तक रोपवे से नरेन्द्रनगर को भी जोड़े जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?	**पर्यटन**
श्री गोपाल सिंह रावत 05–02–2008	**14.** क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में स्व0 रायफलमैन विपिन शाह नं0 4088726 के शहीद होने पर भटवाड़ी–वन्द्राणी–रैथल मोटर मार्ग तथा रा0इ0का0 भटवाड़ी का नाम स्व0 विपिन शाह के नाम से रखे जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**द्वितीय मंगल तक स्थगित**
श्री मयूख महर 05–02–2008	**15.** क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने रोपवे लगाना प्रस्तावित है? क्या किसी कम्पनी को इस कार्य का सर्वेक्षण करने हेतु नियत किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा?	**पर्यटन**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 05–02–2008	**16.** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सा0 स्वा0 केन्द्र–द्वाराहाट एवं चौखुटिया का उच्चीकरण किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्रीमती आशा नौटियाल 05–02–2008	**17.** क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रही "आशा" कार्यकत्री महिलाओं को नियमित रूप से मानदेय दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या नियमित रूप से मानदेय का भुगतान दिया जाएगा?	**स्वास्थ्य**
श्री गोपाल सिंह रावत 06–02–2008	**18.** क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अमर शहीद श्री देव सुमन के नाम पर कोई जनकल्याणकारी योजना/सरकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की योजना/प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो प्रस्तावित योजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**संस्कृति**
श्री गोपाल सिंह रावत 06–02–2008	**19.** क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मल्ला–बेलक–कुशकल्याण–सहस्रताल ट्रेकिंग रूट निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**पर्यटन**

श्री ओम गोपाल 06–02–2008	**20.**	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर कितनी रिवर राफ्टिंग कम्पनियाँ शिवपुरी, व्यासी, कौड़ियाला में राफ्टिंग कार्य कर रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तराखण्ड में काम कर रही राफ्टिंग कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को 70% रोजगार उपलब्ध करा रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कम्पनियों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**पर्यटन**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 06–02–2008	**21.**	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने व्यक्तियों को राज्य व्याधि निधि के तहत निधि स्थापना से वर्षवार उपचार हेतु अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है? क्या राष्ट्रीय व्याधि निधि से प्रदेश के किसी मरीज को धनराशि उपलब्ध हुई है? यदि हाँ, तो कितने मरीजों को कितनी धनराशि दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 06–02–2008	**22.**	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने चिकित्सकों के पद सृजित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री मयूख महर 06–02–2008	**23.**	क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के नैनी–सैनी हवाई पट्टी विस्तार हेतु ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु अधिगृहण वार्ता के समय तत्कालीन कुमाऊँ आयुक्त तथा तत्कालीन स्थानीय विधायक द्वारा ग्राम वासियों को क्या–क्या आश्वासन दिए गए थे और उनमें से कितने आश्वासनों की पूर्ति हो चुकी है? यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में उन्हें कब तक पूरा करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**प्रथम सोम के अता0 56 में स्था0**
श्री गोपाल सिंह रावत 07–02–2008	**24.**	क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाऊण्ड विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में अल्ट्रासाऊण्ड विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति यथाशीघ्र करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**स्वास्थ्य**

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ख"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में,
2. पुलिस सुधार में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने, उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में,
3. शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में,
4. शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में,
5. प्रत्येक विधान सभाक्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के संबंध में,
6. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए किसी योजना के संबंध में,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं के निर्माण के संबंध में,
8. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की अपार संभावनाओं को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में,

9. स्वास्थ्य उप केन्द्रों में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने के संबंध में,
10. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी भी रू0 3200-4900 का वेतनमान के स्थान पर अन्य राज्यों की भांति रू0 4500-7000 दिये जाने के संबंध में,
11. पिछले 4 माह से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही एन0टी0टी0 प्रशिक्षित महिला प्रशिक्षुओं की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
12. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में,
13. 'सैफ गेम्स' की तैयारियों के संबंध में,
14. परिवहन निगम की दयनीय दशा सुधारने के उद्देश्य से नई बसों की खरीद के संबंध में,
15 .नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं के संबंध में,
16. नये विद्यालयों के सृजन एवं उच्चीकरण के संबंध में,
17. श्रीनगर मेड़िकल कालेज के लिये फैकल्टी व अन्य पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
18. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किये जाने के संबंध में,
19. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना के संबंध में,
20. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना के संबंध में,
21. मदरसों के आधुनिकीकरण के संबंध में,
22. नये आश्रम पद्धति विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण के संबंध में,
23. कर्मचारी समन्वय परिषद के गठन के संबंध में,
24. 'ऊर्जा प्रदेश' में विद्युत उत्पादन के लिये सरकार की योजना तथा नई परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में,

25. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष-2008 तक विद्युतीकृत किये जाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास के संबंध में,

26. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के गठन के संबंध में,

27. राज्य में दैनिक वेतनभोगी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में,

28. विद्युत विभाग में होने वाले कार्यों के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों को दिये जाने तथा स्थानीय वेरोजगारों को सम्मिलित न किये जाने के संबंध में तथा

29. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिये प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

2. काज़ी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में ठंड व पाले के असर से हुए फसलों व फलदार वृक्षों के नुकसान को 'दैवीय आपदा' घोषित करने,
2. गन्ना मूल्य का ब्याज सहित तुरंत भुगतान किये जाने,
3. दलित व अनुसूचित जाति को दिये जाने वाले आसामी पट्टों का नवीनीकरण किये जाने,
4. पाले के कारण गन्ने के बीज नष्ट हो जाने के कारण गन्ना किसानों को निःशुल्क गन्ने का उच्च कोटि का बीज उपलब्ध कराये जाने,
5. पी0 एच0 सी0 व सी0 एच0 सी0 (अस्पतालों) में एंटी रेबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराने,
6. अल्प संख्यकों को रोजगार परक शिक्षा दिये जाने,
7. अल्प संख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने व निः शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने,
8. 60 वर्ष की आयु के समस्त वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन दिये जाने,

9. राज्य में पांच वर्षो से लंबित पड़ी चकबंदी प्रक्रिया का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने,

10. हरिद्वार जनपद के मंगलौर में डिग्री कालेज खोले जाने, तथा

11. हरिद्वार जनपद के मंगलौर में 'फायर स्टेशन' खोले जाने।

3. श्री सुरेन्द्र राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार में पाले के अधिक पड़ने के कारण बाग/ उद्यान नष्ट हो गये हैं। उद्यान किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,

2. जनपद हरिद्वार में पाले के अधिक पड़ने के कारण नष्ट गन्ने का गन्ना किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,

3. जनपद हरिद्वार में पाला अधिक पड़ने के कारण नष्ट हुई सब्जी का किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,

4. जल स्तर गिरने के कारण हरिद्वार जनपद के घाड़ क्षेत्र में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप (ट्यूबवेल) लगवाये जाने के संबंध में,

5. जल स्तर गिरने के कारण पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु घाड़ क्षेत्र में हैण्डपंप लगवाये जाने के संबंध में,

6. बी0 पी0 एल0 सूची में छूटे हुए गरीब परिवारों को पुनः सर्वे कराकर सम्मिलित किये जाने के संबंध में,

7. हरिद्वार जनपद में बी0 पी0 एल0 परिवारों की गरीब महिलाओं को गैस कनैक्शन जारी किये जाने के संबंध में,

8. अनुसूचित जाति एवं निर्धन सामान्य जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग के बी0 पी0 एल0 पात्रों को आवासीय एवं जोत पट्टे आवंटित किये जाने के संबंध में,

9. बी0 पी0 एल0 परिवारों को दिये गये 'कुटीर ज्योति' कनेक्शनों के बिल माफ किये जाने के संबंध में,

10. उत्तराखण्ड में घरेलू कनेक्शनों का सरचार्ज माफ किये जाने के संबंध में,

11. स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर फार्मेसिस्ट की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,

12. अनुदेशकों/आचार्यों को 'शिक्षा मित्र' का दर्जा किये जाने के संबंध में,

13. ट्रेजरी कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की तरह समझौते अनुसार संशोधित वेतनमान दिये जाने के संबंध में,

14. वक्फ बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में,

15. मुस्लिम एजुकेशन मिशन को बढ़ावा दिये जाने एवं उर्दू अनुवादकों/उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,

16. वनग्रामों (टोगिया ग्रामों) को राजस्व ग्राम घोषित कर समस्त सुविधाऐं दिये जाने के संबंध में,

17. हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

18. औद्योगिक क्षेत्र रायपुर, लक्सर, पुहाना, भगवानपुर का विकास सिडकुल की तरह सड़कों, बिजली, पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

19. 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को प्रदेश में स्थापित की जाने वाली फैक्ट्रियों/उद्योगों में स्थाई रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में,

20. औद्योगिक क्षेत्र में एस0सी0/एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0/ सामान्य निर्धन व्यक्तियों को आरक्षण दिलवाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

21. मंहगाई रोकने के ठोस उपाये किये जाने के संबंध में,

22. राजाजी पार्क से सटे गांवों के लिये जंगली जानवरों एवं हाथियों से आबादी एवं फसलों की सुरक्षा हेतु तार-बाड़ (बिजली) या दीवार बनाये जाने के संबंध में,

23. गंगा को प्रदूषण/गंदगी से बचाने की ठोस व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

24. बाड़ सुरक्षा एवं नियन्त्रण मंत्रालय द्वारा हरिद्वार जनपद के घाड़ क्षेत्र में कृषि भूमि के कटाव रोकन हेतु धन उपलब्ध कराकर तटबन्ध बनवाये जाने के संबंध में,

25. उत्तराखण्ड के समस्त जिलों को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के संबंध में,

26. किसानों को बिजली के कनेक्शन तत्काल जारी कर कनेक्शन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में,

27. हरिद्वार जनपद में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ने के कारण किसानों को राहत दिये जाने के संबंध में,

28. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में,

29. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 खोले जाने के संबंध में,

30. हरिद्वार जनपद के कलियर क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के संबंध में,

31. हरिद्वार जनपद के खेड़ी शिकोपुर में सोनाली नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में,

32. हरिद्वार जनपद के मजाहदपुर सतीवाला में रतमऊ नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में,

33. हरिद्वार जनपद के कलियर क्षेत्र में एक महिला डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

34. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में,

35. सन् 73 एवं सन् 76 में आवंटित आसामी पट्टों को संक्रमणीय पट्टों में परिवर्तित किये जाने के संबंध में,

36. अनुसूचित जाति का कोटा 21.5 प्रतिशत किये जाने एवं ओ0बी0सी का कोटा 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में,

37. एस0सी0पी0 योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये एक अलग से निदेशालय बनाये जाने के संबंध में,

38. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये प्रत्येक जिले में मैडिकल, इंजिनियरिंग, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 के लिये उच्च कोटी के कोचिंग सेण्टर खोले जाने के संबंध में तथा,

39. कलियर शरीफ मेले का आयोजन राज्य सरकार कुम्भ मेले के अनुसार बजट उपलब्ध कराकर कराने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

4. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान,

2. थारू बुक्सा बंगाली परिवार के बच्चों को छात्रवृति एवं शिक्षा,

3. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में रायसिख और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्षो से डैंम किनारे बसे परिवारों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में,

4. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में पॉलिटेक्निक और आई0टी0आई0 की स्थापना,

5. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में स्थापित हो रहे सिडकुल में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार दिये जाने,

6. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में महाविद्यालय की स्थापना,

7. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में विशेष संगठक योजना (स्पेशल कम्पोनेट प्लान) के वार्षिक बजट में कमी,

8. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में बेसिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षकों की कमी,

9. घरेलू गैस (एल0पी0जी0) की कमी दूर करने के संबंध में,

10. सितारगंज चीनी मिल की दुर्दशा ठीक कर पुनः स्थापित कराने,

11. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में राज्य योजना के तहत सड़कों का निर्माण करने के संबंध में,

12. जनपद उधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में बंगाली समुदाय के लोगों तथा रजाई, चटाई कारीगरों के उत्थान के संबंध में,

13. राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के संबंध में,

14. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी योजना का उल्लेख न किये जाने, तथा

15. अल्पसंख्यकों के लिये किसी योजना का उल्लेख न किये जाने के संबंध में।